

17.12.2022

अभिलेख उपरगणित / विहाय साकार अमराक भूमि को रवाना
कारण हेतु पूर्व द्वितीय/तृतीय/चौथा नोटिस नमिला किया है। नमिला
नोटिस के पश्चात भी शतिकाग्रहीत भू-भाग को अभिलेखित
मुक्त नहीं किया है। पुनः द्वितीय/तृतीय नमिला करें।

अंचल अधिकारी
गोरखपुर

17.12.2022

अभिलेख उपरगणित / अभिलेखन सं. 01/ 020-21 के सम्बन्धित
अभिलेखित भूमि का मामला राजस्व-पञ्चायत में अब से नमिला करें
के कारण नोटिस नमिला किया जाता है। ज्ञात है कि अभिलेखन अभिलेखन
के द्वारा इसे नोटिस नमिला किया जाने के कारण भी अभिलेखन
भूमि को शतिकाग्रहीत मुक्त नहीं किया गया है। अतः के कारण में
राजस्व-पञ्चायत से सम्बन्धित मामले का सुनवाई की दायित्व
22.12.2022 को 11.00 बजे पूर्व से निर्धारित की गई है। निर्धारित
तिथि को सम्बन्धित के साथ राजस्व-पञ्चायत में उपस्थित होकर
उक्त वाद में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया जा रहा है।
अभिलेख के गैर-आप दिनांक - 17.12.2022 को गैर-आप में
नोटिस जारी किया गया।

अंचल अधिकारी
गोरखपुर

12.01.2023

अभिलेख उपरगणित / उक्त स्थल के सम्बन्धित अभिलेखन के
अभिलेखित भूमि का शतिकाग्रहीत मुक्त करने से सम्बन्धित अभिलेखन
प्रस्तुत किया जाता है। उक्त अभिलेखन में उक्त/विलम्ब-आवृत्ति का
अभिलेखित भूमि पर किसी तरह का भू-भाग का भू-भाग का भू-भाग
किया जाता है। अभिलेखन में पूर्व में भू-भाग का भू-भाग का भू-भाग
को गैर-आप के भू-भाग में गैर-आप के भू-भाग में गैर-आप के भू-भाग
उक्त स्थल के राजस्व अभिलेखन के भू-भाग में गैर-आप के भू-भाग
अंचल अधिकारी का गैर-आप के भू-भाग में गैर-आप के भू-भाग में

अंचल अधिकारी
गोरखपुर

2024 07 16